

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

॥ संकल्प ॥


पटना, दिनांक- 12-11-08

विषय:- अखिल भारतीय सेवायें (कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियमावली, 2007 के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के कार्यों पर कार्य निष्पादन मूल्यांकन अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकारों का निर्धारण के संबंध में ।

1. अखिल भारतीय सेवा (कार्य निष्पादन मूल्यांकन) नियमावली, 2007 में निहित प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के अधीन पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के कार्यों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अभिलेखन की प्रक्रिया को सहज एवं अत्यधिक प्रभावशाली बनाया जाय । इस निमित्त पूर्व के निर्गत सभी संकल्पों/अनुदेशों को तात्कालिक प्रभाव से विलोपित करते हुए संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित रूप से प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकारों के निर्धारण करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है ।
2. संकल्प निर्गत के पूर्व कतिपय भा0प्र0से0 के पदाधिकारियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, जिसपर पूर्व से निर्धारित प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकारों के निर्धारण के अनुरूप ही अभिलेखन की कार्रवाई की गयी है, जिसकी मान्यता दी जाती है ।
3. यह आदेश तत्काल के प्रभाव से लागू होगा ।

आदेश:-यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को परिशिष्ट सहित बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




सरकार के सचिव

ज्ञापांक-6/सी0आर0-33/2008-का0- 11894 /पटना, दिनांक- 12-11-08

प्रतिलिपि-संस्थापन पदाधिकारी-सह-अपर सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली-110001/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता/सभी उप विकास आयुक्त/राज्यपाल के सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


2. अनुरोध है कि निर्गत संकल्प से सभी भा0प्र0से0 के पदाधिकारियों को अवगत करावें ।



सरकार के सचिव

ज्ञापांक-6/सी0आर0-33/2008-का0- 11894 /पटना, दिनांक- 12-11-08

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित । उनसे अनुरोध है कि इसकी 1500 (पन्द्रह सौ) मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ।



सरकार के सचिव

12-11-08

भा0प्र0से0 के पदाधिकारियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकारों का निर्धारण :-

क्रम	प्रतिवेदित पदाधिकारी का पदनाम	प्रतिवेदक प्राधिकार का पदनाम	समीक्षी प्राधिकार का पदनाम	स्वीकरण प्राधिकार का पदनाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6.
1.	मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री	मुख्यमंत्री	मुख्यमंत्री	
2.	26000/- रु0 स्थिर वेतनमान पर पदस्थापित पदाधिकारी	प्रभारी मंत्री	मुख्यमंत्री	मुख्यमंत्री	
3.	राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव	राज्यपाल	राज्यपाल	राज्यपाल	
4.	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव	मुख्यमंत्री	मुख्यमंत्री	मुख्यमंत्री	
5.	महानिदेशक/निदेशक, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान/विभागीय जांच आयुक्त	प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव (यदि वरीय हों तो)/ अन्यथा मुख्य सचिव	मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री	
6.	प्रधान सचिव (अधिसमय से ऊपर के वेतनमान) स्तर के पदाधिकारी, जिनका संबंध विकास से नहीं हो	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री	मुख्यमंत्री	
7.	प्रधान सचिव (अधिसमय से ऊपर के वेतनमान) स्तर के पदाधिकारी, जिनका संबंध विकास से हो	विकास आयुक्त	प्रभारी मंत्री	मुख्यमंत्री	
8.	लोक उपक्रम/पर्वद/निगम/निकाय/प्राधिकार आदि में पदस्थापित अधिसमय वेतनमान के पदाधिकारी जैसे बिहार राज्य मंडार निगम/बिहार राज्य भूमि विकास बैंक/बिहार राज्य सहकारिता अधिकोष/बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम/बिहार राज्य सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ/बिहार राज्य महिला विकास निगम, नगर निगम आदि ।	विकास आयुक्त	मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री	
9.	लोक उपक्रम/पर्वद/निगम/निकाय/प्राधिकार आदि में पदस्थापित अधिसमय वेतनमान से नीचे वेतनमान के पदाधिकारी जैसे- बिहार राज्य मंडार निगम/बिस्कोमान/बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम/बिहार राज्य सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ/बिहार राज्य महिला विकास निगम, नगर निगम आदि ।	विभागीय प्रधान सचिव/ विभागीय सचिव	विकास आयुक्त	मुख्यमंत्री	
10.	अधिसमय वेतनमान के पदाधिकारी, जो विभागीय प्रधान के रूप में पदस्थापित हैं, जिनका संबंध विकास से नहीं हो जैसे- मंत्रिमंडल सचिवालय/संसदीय कार्य/ निगरानी/निर्वाचन/ गृह/आपदा प्रबंधन/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार/वित्त/वित्त वाणिज्यकर/ परिवहन/ निबंधन, उत्पाद एवं मद्य-निषेध/योजना एवं विकास/ सूचना एवं जनसंपर्क/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण/विधि विभाग आदि राजस्व - विभाग	मुख्य सचिव	विभागीय मंत्री	मुख्यमंत्री	

ma

(आमिर सुबहानी) 16.10.08

सचिव

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

11.	अधिसमय वेतनमान के पदाधिकारी, जो विभागीय प्रधान के रूप में पदस्थापित हैं, जिनका संबंध विकास से हो जैसे- ग्रामीण विकास/पंचायती राज/ग्रामीण कार्य/अनु० जाति एवं जनजाति कल्याण/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/स्वास्थ्य/मानव संसाधन विकास/विज्ञान एवं प्रावैदिकी/सूचना प्रावैदिकी/उद्योग/गन्ना उद्योग/खनन एवं भूतत्व/पर्यावरण एवं वन/कृषि/सहकारिता/पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन/ऊर्जा/जल संसाधन/लघु जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण/पथ निर्माण/पर्यटन/कला, संस्कृति एवं युवा/श्रम संसाधन/भवन निर्माण एवं आवास विभाग आदि	विकास आयुक्त	विभागीय मंत्री	मुख्यमंत्री
12.	अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर) के पदाधिकारी जो सचिवालय में किसी ऐसे विभाग में पदस्थापित हो, जिनका संबंध विकास से नहीं हो जैसे- मंत्रिमंडल सचिवालय/संसदीय कार्य/निगरानी/निर्वाचन/गृह/आपदा प्रबंधन/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार/वित्त/वित्त वाणिज्यकर/परिवहन/निबंधन, उत्पाद एवं मद्य-निषेध/योजना एवं विकास/सूचना एवं जनसंपर्क/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण/विधि विभाग आदि	विभागीय प्रधान सचिव	मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
13.	अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर) के पदाधिकारी जो सचिवालय में किसी ऐसे विभाग में पदस्थापित हों जिनका संबंध विकास से हो जैसे- ग्रामीण विकास/पंचायती राज/ग्रामीण कार्य/अनु० जाति एवं जनजाति कल्याण/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/स्वास्थ्य/मानव संसाधन विकास/विज्ञान एवं प्रावैदिकी/सूचना प्रावैदिकी/उद्योग/गन्ना उद्योग/खनन एवं भूतत्व/पर्यावरण एवं वन/कृषि/सहकारिता/पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन/ऊर्जा/जल संसाधन/लघु जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण/पथ निर्माण/पर्यटन/कला, संस्कृति एवं युवा/श्रम संसाधन/भवन निर्माण एवं आवास विभाग आदि	विभागीय प्रधान सचिव	विकास आयुक्त	मुख्यमंत्री
14.	स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सचिव, जनशिकायत कोषांग	मुख्य सचिव	मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
15.	अधिसमय वेतनमान से नीचे वेतनमान के पदाधिकारी यथा विशेष/अपर/संयुक्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, ऐसे विभाग में पदस्थापित हों, जिनका संबंध विकास से नहीं हो	विभागीय प्रधान सचिव/सचिव	मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
16.	अधिसमय वेतनमान से नीचे वेतनमान के पदाधिकारी यथा विशेष/अपर/संयुक्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, ऐसे विभाग में पदस्थापित हों, जिनका संबंध विकास से हो	विभागीय प्रधान सचिव/सचिव	विकास आयुक्त	मुख्यमंत्री
17.	परामर्शी/सदस्य/अपर सदस्य, बिहार राज्य योजना पर्वट	विकास आयुक्त	प्रमारी मंत्री	मुख्यमंत्री
18.	लोकायुक्त के सचिव	लोकायुक्त	मुख्यमंत्री	मुख्यमंत्री

(आमिर सुबहानी) 16.10.08
सचिव
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

19.	वाणिज्यकर आयुक्त	प्रधान सचिव, वित्त	मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
20.	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव, निर्वाचन विभाग	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री	मुख्यमंत्री
21.	अपर/संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी-सह-अपर/संयुक्त सचिव, निर्वाचन विभाग	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार	मुख्य सचिव, बिहार	मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत सरकार
22.	सचिव, विधि विभाग	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री	मुख्यमंत्री
23.	अपर सदस्य, राजस्व पर्वद	सदस्य, राजस्व पर्वद	प्रभारी मंत्री	मुख्यमंत्री
24.	सचिव, राजस्व पर्वद	सदस्य, राजस्व पर्वद	प्रभारी मंत्री	मुख्यमंत्री
25.	विभागाध्यक्ष यथा कारा महानिरीक्षक/ईखायुक्त/श्रमायुक्त/ उत्पाद आयुक्त/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा आदि	विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव	प्रभारी मंत्री	मुख्यमंत्री
26.	प्रमंडलीय आयुक्त	मुख्य सचिव	मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
27.	समाहर्ता-सह-जिला पदाधिकारी	प्रमंडलीय आयुक्त	मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
28.	उप विकास आयुक्त	समाहर्ता	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	मुख्यमंत्री
29.	अपर जिला दंडाधिकारी	समाहर्ता	प्रमंडलीय आयुक्त	मुख्य सचिव
30.	अनुमंडलाधिकारी	समाहर्ता	प्रमंडलीय आयुक्त	मुख्य सचिव
31.	बंदोबस्त पदाधिकारी (जहाँ बंदोबस्त पदाधिकारी निदेशक भू-अभिलेख से वरीय हो)	प्रमंडलीय आयुक्त	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	सदस्य, राजस्व पर्वद
32.	बंदोबस्त पदाधिकारी (जहाँ बंदोबस्त पदाधिकारी निदेशक भू-अभिलेख से कनीय हो)	निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	सदस्य, राजस्व पर्वद
33.	प्रभारी पदाधिकारी (सर्वे)	बंदोबस्त पदाधिकारी	निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(मा)

(आमिर सुबहानी) 16-10-08

सचिव

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

34.	महानिदेशक अभियोजन	प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव (यदि वरीय हों तो) / अन्यथा मुख्य सचिव	मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
35.	सचिव, बिहार राज्य विद्युत पर्वद	अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	विभागीय सचिव, यदि वरीय हों अन्यथा विकास आयुक्त	मुख्यमंत्री
36.	सदस्य (वित्त/प्रशासन) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	विभागीय सचिव, यदि वरीय हों अन्यथा विकास आयुक्त	मुख्यमंत्री
37.	सरकार द्वारा समय-समय पर गठित समितियों में प्रतिनियुक्त भा.प्र.से. के पदाधिकारी	प्रधान सचिव/विभागीय सचिव	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री / मुख्यमंत्री
38.	विभिन्न समिति/पर्वद/बोर्ड के गैर-संघीय एवं बाह्य सेवा पदों पर प्रतिनियुक्त विभिन्न भा0प्र0से0 के पदाधिकारी जिनके संबंध में चारित्री अंगिलेखार्थ कोई अन्य आदेश नहीं है	पद सृजित करने वाले विभागीय सचिव	मुख्य सचिव	तदेव
39.	अपर विभागीय जांच आयुक्त	मुख्य सचिव	मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
40.	राज्य संपादक, बिहार गजेटियर्स	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	मुख्य सचिव	प्रभारी मंत्री
41.	निःशक्तता आयुक्त	प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, यदि वरीय हों अन्यथा विकास आयुक्त	विकास आयुक्त	मुख्यमंत्री
42.	विभिन्न विभाग के अधीन पदस्थापित परियोजना निदेशक	विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव	मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री

ma

16.10.08

(आमिर सुबहानी)
सचिव

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग